राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक व छिद्रण),
खान एवं भू विज्ञान विभाग, बी–3/119 सुदर्शना नगर, बीकानेर ।
दूरभाष – 0151–2226614

कमांक – अ.अ.(यां. व छि.)/बीका/आ.सो.–सूजस/2017–18/ 1362 **दिनांक** : 18 .01.2018

खुली बिड संख्या 1 वर्ष 2017–18

इस कार्यालय के अधीन संचालित विभिन्न छिद्रण परियोजनाओं हेतु वर्ष 2017–18 के लिये श्रम विभाग में पंजीकृत सेवा प्रदाताओं से आउटसोर्सिंग के आधार पर छिद्रण यंत्र/उपकरणों की चौकीदारी एवं अन्य सहायक सेवायें उपलब्ध करवाने हेतु मोहरबंद बिड्स आमंत्रित की जाती है । बिड फार्म का विक्रय कार्यालय में दिनांक 29.01.2018 से दिनांक 08.02.2018 तक कार्यालय समय में किया जायेगा या विभागीय बेबसाईट http://www.dmg-raj.org/ एवं राज्य लोक उपापन पोर्टल (http:sppp.raj.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है। डाउन लोड किये गये बिड फार्म का शुल्क 200/– रू0 पृथक से बिड फार्म के साथ कार्यालय में जमा करवाना होगा । मोहरबन्द बिड्स दिनांक 09.02.2018 को अपरान्ह 12 बजे तक प्राप्त कर उसी दिन सायंकाल 3 बजे उपस्थित बिडर्स के समक्ष खोली जायेगी । बिड की अनुमानित लागत मूल्य 4,50,000/– रू0 है एवं बिड फार्म शुल्क 200/– रू0 और बोली प्रतिभूति राशि 9000/– रू0 है । बिड की अन्य शर्ते एवं कार्य विवरण आदि किसी भी कार्यदिवस के दौरान इस कार्यालय में उपस्थित होकर देखा जा सकता है ।

(पी.डी.सोनी)
अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.),
खान एवं भू–विज्ञान विभाग,
बीकानेर।

राजस्थान सरकार

कार्यालय अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक व छिद्रण), खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर ।

बिड प्रारूप

1. अनुबन्ध पर आउट सोर्सिंग के आधार पर सेवाओं के लिए बिड ।
2. बिड प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम व डाक पता मय मोबाईल नम्बर
   ____
   ____
3. को संबोधित – अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर ।
4. संदर्भ – क. बिड सूचना क. 1 वर्ष 2017–18
5. बिड शुल्क की राशि रूपये 200/– ——————————— द्वारा जमा करा दी है ।
6. बिड सूचना क. 1 वर्ष 2017–18 —————— जो अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर द्वारा जारी की गयी है, में वर्णित समस्त शर्तो की पालना करने के लिए मैं/हम सहमत है तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्ते जो संलग्न पृष्ठों पर वर्णित शर्तो के हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप हमने हस्ताक्षर कर दिये है, का भी हम पालन करने के लिए सहमत है ।
7. आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्य कराने की हमारी दरे निम्न प्रकार है –

क्रं.सं.	कार्य/सेवा का संक्षिप्त विवरण	वर्तमान कार्यस्थल/छिद्रण यंत्र	अनुमानित राशि	बोलीदाता की दरे प्रतिमाह (सभी कर आदि सहित)
1	आउटसोर्सिंग के आधार पर पर छिद्रण यंत्र/उपकरणों की चौकीदारी एवं अन्य सहायक सेवाऐं उपलब्ध कराना	छिद्रण यंत्र आर.डी. 60 द्वितीय कैम्प डेह जिला नागौर ।	1,30,000/-	
2		छिद्रण यंत्र टी.आर.डी. प्रथम एवं द्वितीय, तहसील सम, जिला जैसलमेर ।	2,60,000/-	
3		पलाना स्टोर, पलाना जिला बीकानेर ।	60,000/-	

8. आदेश जारी करने के 3 दिवस के भीतर परियोजना व निर्देशित स्थानों पर आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवायें शुरू किया जायेगा ।
9. ऊपर बताई गई दरे 90 दिन तक मान्य होगी । सेवा अवधि समय सीमा परस्पर सहमति से बढायी जा सकती है ।
10. बोली प्रतिभूति राशि हेतु ड्राफ्ट/बैंकर चेक/रोकड़ प्रा./चालान क्रमांक व दिनांक........................ राशि रू0 ....संलग्न है ।
11. सभी रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र संलग्न है ।
12. प्रपत्र ए, बी, सी व डी संलग्न है ।

निविदाकार के हस्ताक्षर मय मोहर

राजस्थान सरकार
कार्यालय अधीक्षण अभियंता (यांत्रिक व छिद्रण),खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर

कार्य विवरण एवं बिड की शर्ते

कार्य का विवरण – छिद्रण यंत्रों एवं भण्डार (छिद्रण यंत्र आर.डी. 60 द्वितीय–डेह, टी.आर.डी. प्रथम व द्वितीय–सम एवं पलाना छिद्रण भण्डार) पर छिदण यंत्रों/छिद्रण उपकरणों की चौकीदारी करना व सहायक सेवाऐं प्रदान करना।

सहायक सेवाऐं –

छिद्रण साईटों पर बोर होल पर छिद्रण कार्य पूर्ण होने के पश्चात् मड पिट व बोर होल को वापिस मिट्टी से भरवाना । साफ–सफाई का कार्य, पीने का पानी भरना आदि ।

1. सामान्य वित्तीय एवं लेखानियम से संबंधित शर्ते जो लागू होती है, लागू होगी ।
2. बिड्स बेचने एवं खोलने के दिन अवकाश हो तो बिड्स बेचने/प्राप्त करने, खोलने की कार्यवाही अगले कार्यदिवस में होगी ।
3. श्रम विभाग से पंजीकृत संस्था अथवा समकक्ष पंजीकृत आपूर्तिकर्ता द्वारा ही दरे प्रस्तुत की हुई मान्य होगी, व्यक्ति विशेष द्वारा प्रस्तुत टेण्डर पर विचार नहीं होगा । सेवाकर पंजीयन भी आवश्यक होगा ।
4. समस्त सेवाओं की दरे एकमुश्त प्रतिमाह के आधार पर देनी होगी । प्रति श्रमिक दर स्वीकार्य नहीं होगी ।
5. आउटसोर्सिंग के आधार पर सेवाओं की आपूर्ति संतोषप्रद नहीं होने पर अथवा सेवाओं की आवश्यकता नहीं रहने पर संविदा किसी भी समय निरस्त की जा सकेगी ।
6. आपूर्ति आदेश के तीन दिवस के भीतर परियोजनाओं पर आउटसोर्सिंग सेवाओं प्रारम्भ कराने की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
7. समय–समय पर मशीन/परियोजनाओं के कैम्प बदलने पर किसी भी प्रकार का गाड़ी भाड़ा/यात्रा व्यय प्रभार आउटसोर्सिंग के भुगतान की जिम्मेदारी निविदादाता की होगी ।
8. बिड्स एक वर्ष तक मान्य होगी लेकिन परस्पर सहमति से 50 प्रतिशत तक पुनरावृति की जा सकेगी । बिड्स में अंकित राशि 31 मार्च 2018 तक के लिए है ।
9. बिड प्रारूप स्याही से भरा जायेगा या टंकित किया जायेगा । पैंन्सिल से भरी बिड पर विचार नहीं किया जायेगा । बिड्र, बिड व शर्तो के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा ।
10. दरे अंको व शब्दों दोनों में लिखी जायेगी । कोई त्रुटि या उपरीलेखन/शुद्धीकरण पर दिनांक सहित बिड्र द्वारा लघु हस्ताक्षर किये जाने चाहिए ।
11. बिड्र स्वीकृत संविदा को या उसके किसी सारवान भाग को किसी अन्य एजेन्सी को नहीं सौपेंगा या उपभाड़े (सबलेट) पर नही देगा ।
12. आपूर्ति आदेश के 3 दिवस के भीतर 500 रू0 के नॉन ज्यूडिशियल बॉण्ड पर अनुबंध निष्पादित करना होगा तथा आपूर्ति आदेश राशि के 5 प्रतिशत तक कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि जमा करवानी होगी ।
13. न्यूनतम दरों वाली फर्म को कार्यादेश नहीं दिये जाने का अधिकार सुरक्षित है और बिना किसी कारण के बिड निरस्त करने का अधिकार भी टेण्डरकर्ता के पास सुरक्षित है ।
14. श्रमिकों की सामाजिक सुरक्षा व श्रमिक कल्याण, दुर्घटना बीमा आदि की समस्त जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी ।
15. समय–समय पर दिनांक संशोधित कार्य विधियों की पालना के लिये ठेकेदार पाबंद होगा और राज्य सरकार द्वारा जारी निर्देशों और नियमों की पालना हेतु बाध्य होगा ।
16. दुर्घटना व किसी आकस्मिकता के लिये ठेकेदार पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा ।
17. यदि संविदा भंग/निर्वाचन संबंधी कोई वाद उत्पन्न होता है तो संविदा के पक्षकारों द्वारा प्रकरण विभागाध्यक्ष को प्रस्तुत किया जायेगा और विभागाध्यक्ष द्वारा नियुक्त/आवंटित जो भी फैसला करेगा ,वह निर्णय अंतिम होगा तथा दोनों पक्षों को मान्य होगा ।
18. निरीक्षण – सक्षम अधिकारी या उसका प्राधिकृत प्रतिनिधि को समय–समय पर निरीक्षण एवं जॉंच करने की शक्ति होगी । ठेकेदार/फर्म को समस्त रिकार्ड मांगे जाने पर उपलब्ध कराने होगे ।
19. प्रतिभूति निक्षेप का समपहरण :– प्रतिभूति राशि को पूर्ण या आंशिक रूप से निम्नलिखित मामलों में समपहृत किया जा सकेगा –
    (अ). जब निविदाकार टेण्डर खुलने के बाद लेकिन स्वीकृति के पूर्व प्रस्ताव हटाता (विड्रा) से अथवा इसमें परिवर्तन करता है ।
    (ब). जब निविदाकार निहित समय के भीतर अनुबन्ध का सम्पादन नहीं करता है ।

(स). जब निविदाकार आपूर्ति आदेश दिये जाने के बाद कार्य सम्पादन प्रतिभूति राशि नहीं करवाता है ।

(द). जब वह कार्य आदेश के अनुसार निहित समय के भीतर कार्य करने में असफल रहता है ।

प्रतिभूति निक्षेप को समपहृत करने के मामले में युक्तियुक्त समय पूर्व नोटिस दिया जायेगा । इस संबंध में सक्षम अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा ।

20. असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जायेगा ।

21. बोली लगाने वालों से ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों मे समपहृत कर दी जायेगी, अर्थात् :–

(क). जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्यहित या उपन्तरित करता है।

(ख). जब बोली लगाने वाला प्रदाय/कार्य आदेश देने के पश्चात् विनिदिष्ट कालावधि के भीतर करार का निष्पादन नहीं करता है ।

(ग). जब बोली लगाने वाला प्रदाय/कार्य आदेश के अनुसार कार्य का निष्पादन प्रारंभ करने में असफल रहता है ।

(घ). जब बोली लगाने वाला प्रदाय/कार्य आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नहीं कराता है ।

(ङ) यदि बोली लगाने वाला अधिनियम और इन नियमों के अध्याय 6 में विनिर्दिष्ट बोली लगाने वालों के लिए विहित सत्यनिष्ठा की संहिता के किसी उपबंध का भंग करता है ।

22. ठेकेदार के श्रमिकों द्वारा चोरी या कोई नुकसान किये जाने पर उसकी वसूली अनुमोदित निविदाकार से की जायेगी ।

23. कार्य का बिल प्रतिमाह प्रस्तुत करना होगा ।

24. ठेकदार राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दर से कम राशि का भुगतान नहीं करेगा और वह प्रमाण प्रेषित करेगा कि कार्यरत प्रत्येक आउटसोर्सिंग कार्य का भुगतान कर दिया है ।

25. ठेकदार द्वारा आउटसोर्सिंग कार्य का भुगतान प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के बाद ही ठेकदार के बिल का भुगतान किया जायेगा ।

26. परियोजना कैम्प/मशीन कार्यस्थल पर आउटसोर्सिंग कार्य की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी एवं इस कार्य हेतु अनुबंध में उल्लेखित दर के अलावा कोई अतिरिक्त राशि देय नहीं होगी ।

27. ठेकेदार को भुगतान से पूर्व नियमानुसार आयकर कटौती की जायेगी जो अलग से देय नहीं होगा एवं इसके अतिरिक्त कोई भुगतान देय नहीं होगा । सेवाकर यदि लागू हो तो ठेकेदार द्वारा जमा करवाना होगा और मांगने पर उसकी रसीद प्रस्तुत करनी होगी ।

28. वर्तमान में छिद्रण यंत्र आर.डी.60 द्वितीय–डेह, जिला–नागौर एवं टी.आर.डी. प्रथम व द्वितीय–सम, जैसलमेर परियोजना पर कार्यरत है ।

29. वित्त विभाग के परिपत्र 2011 दिनांक 04.03.2013 के संलग्न ए,बी,सी व डी में वर्णित निर्देशों की पालना भी सुनिश्चित की जानी है ।

30. बोली प्रतिभूति राशि, अधीक्षण अभियंता (यां. व छि.), खान एवं भूविज्ञान विभाग, बीकानेर के नाम देय होगी ।

31. प्रभारी अधिकारी (उपछिद्रण अभियंता/सहायक छिद्रण अभियंता)/वैधक प्रभारी के निर्देशानुसार कार्य करना होगा व प्रभारी अधिकारी (उपछिद्रण अभियंता/सहायक छिद्रण अभियंता)/वैधक प्रभारी को परिस्थितिवश अधिकार होगा कि वह सीमाओं में रहते हुए कार्य में कमी/वृद्धि कर सके ।

32. बिड फार्म बेबसाईट से डाउनलोड कर भरने की अवस्था में बोली प्रतिभूति राशि बिड जमा करवाते समय जमा करवाया जा सकेगा ।

33. बिड्र्स अपने संविधान की प्रति जिसमे उक्त संस्था के मूलभूत उदेश्य अंकित हो, संलग्न करना होगा ।

34. ठेकेदार को जब कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय/साईट पर बुलाया जायेगा तो उसे उपस्थित होना होगा ।

35. ठेकदार द्वारा दी गयी कोई भी अन्य शर्ते मान्य नही होगी ।

निविदाकार के हस्ताक्षर मय मोहर

निविदा दाताओं द्वारा घोषणा

मै /हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैंने/हमने आउटसोर्सिंग के आधार पर कार्य करने के लिये निविदा की है उनका/उनके मै/हम पंजीकृत संस्था/सहकारी समिति/श्रम विभाग से पंजीकृत है ।

यदि यह घोषणा असत्य पाई जाये तो किसी भी उच्च कार्यवाही जो की जा सकती है , पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना मेंरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्ण रूप से समपह्त कर लिया जायेगा तथा निविदा को जिस सीमा तक उसे स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जायेगा ।

निविदाकार के हस्ताक्षर मय मोहर

Annexure A: Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall-

(a) Not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;

(b) Not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;

(c) Not indulge in any collusion, Bid rigging or anticompetitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;

(d) Not misuse any information shared between the procuring entity and the bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;

(e) Not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;

(f) Not obstruct any investigation or audit of a procurement process;

(g) Disclose conflict of interest, if any; and

(h) Disclose any previous transgressions with any entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of interest.-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

(i) A bidder may be considered to be in conflict of interest with one or more parties in the bidding process if, including but not limited to:

(a) Have controlling partners/shareholders in common; or

(b) Receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or

(c) Have the same legal representative for purposes of the bid; or

(d) have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the bid of another bidder, or influence the decisions of the procuring Entity regarding the bidding process; or

(e) The bidder participates in more than one bid in a bidding process. Participation by a bidder in more than one bid will result in the disqualification of all bids in which the bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a bidder, in more than one bid; or

(f) the bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the goods, Works or services that are the subject of the Bid; or

(g) Bidder or any of its affiliates has been hired (or proposed to be hired) by the procuring entity as engineer-in-charge/consultant for the contract.

Annexure B: Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

In relation to my/our Bid submitted to ....for procurement of ....in response to their Notice inviting Bids No...............Dated................I/we ....hereby declare under Section 7 of Rajasthan Transparency in Public Procurement Act, 2012 that :

1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entry;
2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payble to the union and the state government or any local authority as specified in the Bidding Document.
3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Date :

Place :

Signature of bidder

Name :

Designation :

Address :

Annexure C :Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is Dy.Secretary Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan.The designation and address of the Second Appellate Authority is **Principal Secretary** Youth Affairs & Sports Department Govt. of Rajasthan,Jaipur.

(1) Filing an appeal:-

if any bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the procuring entity is in contravention to the provisions of the Act or the rules or the guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate authority, as specified in the Bidding document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a bidder as successful the appeal may be filed only by a bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a procuring entity evaluates the technical bids before the opening of the financial bids, an appeal related to the matter of financialbids may be filed only by a bidder whose technical bid is found to be acceptable.

(2) The officer to whom an appeal is filed under Para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.

(3) If the officer designated under Para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in Para (2), or if the bidder or prospective bidder or the procuring entity is aggrieved by the order passed by the first appellate authority, the bidder or prospective bidder or the procuring entity, as the case may be, may file a second appeal to second appellate authority specified in the bidding document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in Para (2) or of the date of receipt of the order passed by the first appellate authority, as the case may be.

(4) Appeals not to lie in certain cases:-

No appeal shall lie against any decision of the procuring entity relating to the following matters, namely:-

(a) Determination of need of procurement

(b) Provisions limiting participation of bidders in the bid process

(c) The decision of whether or not to enter into negotiations

(d) Cancellation of a procurement process

(e) Applicability of the provisions of confidentiality

(5) Form of Appeals:-

(a) An appeal under Para (1) or (3) above shall be in the annexed form along with as many copies as there are respondents in the appeal.

(b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee,

(c) Every appeal may be presented to first appellate authority or second appellate authority, as the case may be, in person or though registered post orauthorised representative.

(6) Fee for filing Appeal:-

(a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.

(b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a scheduled bank in India payable in the name of appellate authority concerned.

(7) Procedure for disposal of Appeal:-

(a) The first appellate authority or second appellate authority as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing

(b) On the date fixed for hearing, the first appellate authority of second appellate authority, as the case may be shall-
(i) Hear all the parties to appeal present before him; and
(ii) Peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.

(c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the appellate authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.

(d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the state public procurement portal.

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. **Correction of arithmetical errors**

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

i. If there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;

ii. It there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected ; and

iii. If there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. **Procuring Entity's Right to Vary Quantities**

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, Works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(i) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the supplier.

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted.